

**Public Notice**

Students of all the State Private Universities / Educational Institutions located in Himachal Pradesh seeking refund of securities are hereby informed to attach a copy each of PDC, DMC and No Dues Certificate (NDC) to the University/ Institution. Copies of these documents should also be attached while forwarding such complaints to this Commission for affirmative action in the first instance itself.

*By order/*

**Chairman  
H.P. Private Educational Institutions  
Regulatory Commission**

## सर्वजनिक सूचना

हिमाचल प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय / शिक्षण संस्थानों के छात्रों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि छात्र-प्रतिभूतियों की वापसी के लिए आवेदन करते समय सम्बंधित विश्वविद्यालय / संस्थानों में आवेदन पत्र के साथ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट (PDC), डिटेल्ड मार्कस सर्टिफिकेट (DMC) और अदेय प्रमाण-पत्र (NDC) की प्रतियाँ अवश्य संलग्न करें। इसी तरह आयोग में जब कभी भी प्रतिभूतियों की वापसी के बारे में शिकायत भेजनी हो तो ये दस्तावेज अवश्य संलग्न करें, ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके।

*आदेशानुसार /*

*अध्यक्ष  
हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान  
विनियामक आयोग*